

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

कोटा सोशल मीडिया नेटवर्क मामले : धर्म परिवर्तन और महिलाओं को निशाना बनाने के आरोपों पर मचा बवाल, पुलिस बोली- कई दावों की जांच अभी जारी

Sanket Morankar

Published on 25 Jun 2026



राजस्थान के कोटा में सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े एक मामले ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि शिकायतकर्ता संगठन ने महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से निशाना बनाने, आपत्तिजनक सामग्री के जरिए ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक रूप से किए जा रहे कई दावों की जांच अभी जारी है और अब तक उनकी पुष्टि नहीं हुई है।

शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर

यह मामला 15 जून को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत के आधार पर विज्ञान नगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।

पुलिस ने आरोपी मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं।

सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच

पुलिस के अनुसार आरोपी कथित रूप से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग समूहों से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त चैट, वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच की जा रही है।

जांच अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि डिजिटल नेटवर्क का वास्तविक स्वरूप क्या था और उसमें अन्य लोगों की भी कोई भूमिका थी या नहीं।

शिकायतकर्ता संगठन ने लगाए गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता संगठन ने दावा किया है कि आरोपी फर्जी पहचान का उपयोग कर सोशल मीडिया पर सक्रिय था। संगठन का आरोप है कि महिलाओं को ऑनलाइन संपर्क के माध्यम से निशाना बनाया जाता था और आपत्तिजनक सामग्री के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था।

संगठन ने मामले की विस्तृत जांच की मांग करते हुए इसे बड़े नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका भी जताई है।

पुलिस ने कई दावों पर जताई सावधानी

कोटा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अब तक की जांच में कई सार्वजनिक दावों की पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस के अनुसार फिलहाल धर्म परिवर्तन, किसी विदेशी नेटवर्क से संबंध या धार्मिक भावनाओं से जुड़े कुछ आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। जांच अभी जारी है और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है।

डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच जारी

जांच एजेंसियां आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों, चैट रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा की विस्तृत जांच कर रही हैं।

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले के सभी पहलुओं पर स्पष्ट निष्कर्ष सामने आएंगे।

न्यायिक हिरासत में आरोपी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि मामले से जुड़े सभी डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने से पहले अपुष्ट दावों और अफवाहों पर विश्वास न करें तथा केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.